vinetur

केन्या के समूहों ने संसद से शराब विधेयक पर फिर विचार करने की अपील की, 10,000 ठिकाने बंद हो सकते हैं

शराब पीने की उम्र 21 वर्ष करने, रेस्तरां के लाइसेंस सीमित करने और दिन में डिलीवरी रोकने के प्रस्तावों से 30,000 नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं

मंगलवार, 24 नवंबर 2026



केन्या के कारोबारी समूहों, श्रमिक प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों और मोटरसाइकिल टैक्सी संचालकों ने मंगलवार, 24 नवंबर को संसद से प्रस्तावित शराब नियंत्रण विधेयक के कुछ प्रावधानों पर फिर विचार करने की अपील की। उनका कहना था कि इनसे नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं, हजारों कारोबार बंद हो सकते हैं और कुछ उपभोक्ता अवैध शराब की ओर मुड़ सकते हैं।

आलोचना का केंद्र Alcoholic Drinks and Drugs Control Laws (Amendment) Bill, 2026 है, जिसे 18 सितंबर को Kenya Gazette Supplement में प्रकाशित किया गया था। विधेयक में अन्य बदलावों के साथ शराब पीने की कानूनी उम्र

18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने, शराब के लाइसेंस जारी किए जाने की जगहों को सीमित करने और दिन के समय मादक पेय पदार्थों के परिवहन पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव है।

यह बहस सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति से आगे भी अहम है, क्योंकि प्रस्तावित नियम केन्या में बीयर, वाइन और स्पिरिट की बिक्री और वितरण के तरीकों को भी बदल सकते हैं। इससे बार, रेस्तरां, खुदरा विक्रेताओं, डिलीवरी संचालकों और पेय कारोबार के अन्य हिस्सों की बाजार तक पहुंच प्रभावित हो सकती है।

हितधारकों ने कहा कि वे शराब के दुरुपयोग पर लगाम लगाने, नाबालिगों की रक्षा करने और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के प्रयासों का समर्थन करते हैं। लेकिन उनका तर्क है कि मौजूदा मसौदा आतिथ्य, मनोरंजन और परिवहन क्षेत्र के लाइसेंसधारी कारोबारों पर व्यापक पाबंदियां लगाकर बहुत आगे जाता है और रोजगार तथा निवेश पर पड़ने वाले असर को पर्याप्त महत्व नहीं देता।

Pubs, Entertainment, Restaurants Association of Kenya के अध्यक्ष Michael Kiragu Muthami ने कहा कि विधेयक से करीब 10,000 ठिकाने बंद हो सकते हैं और लगभग 30,000 नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। उनके मुताबिक, अर्थव्यवस्था पर सालाना असर KSh8.46 billion तक पहुंच सकता है। नुकसान केवल बार और रेस्तरां तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपूर्तिकर्ताओं और उनसे जुड़े अन्य कारोबारों पर भी पड़ेगा।

Muthami ने शराब पीने की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 18 वर्ष की उम्र में कानूनी तौर पर वयस्क माने जाने वाले लोगों के लिए शराब सेवन की अलग उम्र तय नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रेस्तरां और आतिथ्य क्षेत्र के अन्य ठिकानों में शराब बिक्री के लाइसेंस रोकने के प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया। उनका तर्क था कि ऐसा कदम इस क्षेत्र के सामान्य कारोबारी मॉडल के बड़े हिस्से को कमजोर करेगा।

Alcoholic Drinks Control Act की धारा 12 में प्रस्तावित संशोधन के तहत कई तरह के परिसरों को लाइसेंस नहीं दिए जा सकेंगे। इनमें रेस्तरां, विश्वविद्यालय, कॉलेज और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थान शामिल हैं। विधेयक का असर सार्वजनिक समुद्र तटों, पार्कों, मनोरंजन पार्कों, सिनेमाघरों, चिकित्सा केंद्रों, खेल सुविधाओं, बस अड्डों, बस स्टॉप, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों और फेरी टर्मिनलों पर भी पड़ेगा।

इसी विधेयक में Alcoholic Drinks Control Act की धारा 3(c) में संशोधन कर “eighteen” शब्द की जगह “twenty-one” रखने का प्रस्ताव है। धारा 13, 21 और 24 में भी इसी तरह के बदलाव प्रस्तावित हैं।

श्रमिक नेताओं ने कहा कि इसका असर कारोबार मालिकों तक सीमित नहीं रहेगा। Kenya Hotels and Allied Workers Union के महासचिव Sava Wycliffe ने कहा कि उम्र की सीमा बढ़ाने और बिक्री पर कड़े प्रतिबंधों से आतिथ्य क्षेत्र के नियोक्ताओं को कर्मचारियों की संख्या घटानी पड़ सकती है। उन्होंने सांसदों से विधेयक को आगे बढ़ाने से पहले श्रमिकों पर पड़ने वाले असर पर विचार करने की अपील की।

Wycliffe ने कहा कि यूनियन व्यापक रूप से आतिथ्य प्रतिष्ठानों में शराब बिक्री पर रोक लगाने के बजाय लक्षित नियमों को प्राथमिकता देगी। इनमें उम्र की अधिक सख्त जांच, जिम्मेदारी से शराब परोसने के मानक और लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन शामिल है।

विद्यार्थी प्रतिनिधियों ने भी विरोध जताते हुए कहा कि इन बदलावों से आतिथ्य तथा खाद्य एवं पेय कार्यक्रमों में पढ़ रहे युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर घट सकते हैं। Multimedia University के छात्र नेता MalcomX ने कहा कि कई विद्यार्थी इंटर्नशिप, औद्योगिक प्रशिक्षण और शुरुआती स्तर की नौकरियों के लिए होटल, रेस्तरां, पब और मनोरंजन स्थलों पर निर्भर हैं।

उनका तर्क था कि शराब पीने की उम्र 21 वर्ष करने से इस उम्र से कम के उन विद्यार्थियों के लिए नई बाधाएं पैदा हो सकती हैं, जो आतिथ्य उद्योग में व्यावहारिक अनुभव हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि मांग पर

ध्यान दिए बिना कानूनी बिक्री केंद्रों तक पहुंच सीमित करने से कुछ युवा उपभोक्ता अवैध शराब की ओर जा सकते हैं, जिनमें chang'aa भी शामिल है। यह स्थानीय स्तर पर बनाई जाने वाली स्पिरिट है, जिसे लेकर लंबे समय से सुरक्षा संबंधी चिंताएं रही हैं।

केन्या के मोटरसाइकिल टैक्सी उद्योग, जिसे स्थानीय तौर पर boda boda संचालकों के नाम से जाना जाता है, ने भी विधेयक का विरोध किया है। Kenya Riders and Owners Bodaboda Sacco के अध्यक्ष Elly Kegode ने कहा कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शराब के परिवहन पर रोक लगाने वाले प्रावधान से डिलीवरी करने वाले राइडरों की आय का एक अहम स्रोत बंद हो सकता है।

Kegode ने कानून का उल्लंघन कर शराब ले जाने वालों के लिए KSh10 million के जुर्माने या कारावास की प्रस्तावित सजा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह उन राइडरों के साथ अन्याय होगा, जो केवल डिलीवरी सेवा देते हैं और अपने साथ ले जाए जा रहे पेय पदार्थों का उत्पादन नहीं करते।

उनका तर्क था कि स्व-नियमन संभव है, क्योंकि कई राइडर पहले से ही ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं जो ड्राइवरों की पहचान करते हैं और विक्रेता से ग्राहक तक डिलीवरी पर नजर रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मोटरसाइकिल टैक्सी संचालक शराब पी चुके ग्राहकों को घर पहुंचाकर सड़क सुरक्षा में भी भूमिका निभाते हैं।

समूहों ने कहा कि उनकी आपत्तियों को शराब बाजार पर कड़ी निगरानी के विरोध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसके बजाय, उन्होंने अवैध उत्पादकों और विक्रेताओं पर केंद्रित कार्रवाई, खरीदारों की उम्र की अधिक सख्त जांच और लाइसेंसधारी संचालकों के लिए अधिक व्यावहारिक नियमों की मांग की।

उनका रुख इस व्यापक नीतिगत विवाद को दर्शाता है कि केन्या को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों और विनियमित शराब बिक्री पर काफी निर्भर क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए। मौजूदा स्वरूप में लागू होने पर विधेयक लाइसेंसधारी रेस्तरां, पब और मनोरंजन स्थलों में ग्राहकों को सेवा देने के तरीके बदल सकता है। साथ ही, दिन के समय मादक पेय पदार्थों को बाजार तक पहुंचाने वाली लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।

फिलहाल हितधारक सांसदों से विधेयक को आगे बढ़ाने से पहले उसमें संशोधन करने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि शराब पर कोई भी नया नियंत्रण उपभोक्ताओं और नाबालिगों की रक्षा करे, लेकिन वैध कारोबारों और उन पर निर्भर श्रमिकों को नुकसान न पहुंचाए।